



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 9 सितम्बर, 2021 ई०
(भाद्रपद 18, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 10126/दस-लाइसेंस-194/2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 09 सितम्बर, 2021 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-62

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित नियमावली तथा अधिसूचनाओं को विखण्डित करते हैं, अर्थात्—

(क) आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 13678/लाइसेंस, दिनांक 15 अक्टूबर, 1982 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी शराब का मूल्य) नियमावली 1982।

(ख) आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 3545-ई/तेरह-506/54, दिनांक 02 सितम्बर, 1957 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्पिरिटयुक्त विनिर्मितियां (अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य) नियंत्रण नियमावली, 1957।

परन्तु यह कि ऐसे विखण्डन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(एक) उक्त नियमावली का पूर्व प्रवर्तन या उसमें कृत या किये जाने हेतु लोपित या उससे ग्रसित कोई बात; या

(दो) उक्त नियमावली के अधीन अर्जित या प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, अनुबन्ध या दायित्व; या

(तीन) उक्त नियमावली के विरुद्ध कृत किसी भी अपराध के सम्बन्ध में कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(चार) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, अनुबन्ध, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय और ऐसी कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित किये जा सकते हैं, जारी रखे जा सकते हैं, या प्रवर्तित किये जा सकते हैं और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है मानों उक्त नियमावली का विखण्डन न किया गया हो।

ह० (अस्पष्ट)

आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

NOTIFICATION

No. 10126/X-Licence-194/2021-2022

Prayagraj, dated: September 09, 2021

In exercise of the powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby rescinds with immediate effect the following rules and notifications, namely—

(a) The U.P. Excise (Price of Foreign Liquor) Rules, 1982 published *vide* Excise Commissioner notification no. 13678/Licence, dated October 15, 1982.

(b) The Uttar Pradesh Spirituous preparation (Inter-State Trade and Commerce) Control Rules, 1957 published *vide* Excise Commissioner notification no. 3545-E/XIII-506-54, dated September 02, 1957.

Provided that such rescission shall not affect—

(i) the previous operation of the said rules or anything done or *omitted* to be done or suffered therein; or

(ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said rules; or

(iii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or.

(iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.